भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2115
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सामुद्रिक सीमा प्रबंधन

2115. **श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समुद्री सीमाओं के निकट भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी या उत्पीड़न को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ कोई दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौता किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में की गई राजनयिक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल के महीनों में भारत की सीमाओं के निकट क्षेत्रीय उल्लंघनों या आक्रामक कार्रवाइयों के विरुद्ध कोई राजनयिक विरोध या आपत्ति पत्र जारी किया है;

(घ) क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की रणनीति क्या है;

(ङ.) वर्तमान में विदेशी जेलों, विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश की जेलों में कितने भारतीय मछुआरे कैद हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने सीमा पार मछली पकड़ने के विवादों से बचने के लिए पड़ोसी देशों के साथ कोई संयुक्त सीमा प्रबंधन तंत्र प्रस्तावित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सीमा या समुद्री विवाद मित्रवत पड़ोसी देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुँचाएँ?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री पबित्र मार्गेरिटा]

(क) और (च) भारत और म्यांमार ने समुद्री क्षेत्र में अवैध गतिविधियों से संबंधित कानूनी और नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए सितंबर 2017 में समुद्री सुरक्षा सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार, भारत और बांग्लादेश ने जून 2024 में समुद्री सहयोग और ब्लू इकॉनोमी के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को अनजाने में पार करने के मुद्दे को हल करने और उनकी शीघ्र रिहाई की सुविधा प्रदान करने में सहयोग शामिल है। समुद्री और भूमि सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ विभिन्न संयुक्त तंत्रों के तहत नियमित रूप से द्विपक्षीय चर्चा की जाती है। श्रीलंका के संबंध में, इन मुद्दों को मत्स्य पालन संबंधी भारत- श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से निपटाया जाता है,

जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मत्स्य पालन पर पिछली जेडब्ल्यूजी बैठक 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी।

(ख) और (छ) भारत सरकार ने प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने और सीमा पर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। चीन के संबंध में, अक्टूबर 2024 की सैन्य वापसी के बाद से कई बैठकों में ऐसे उपायों पर चर्चा की गई है, जिनमें दिसंबर 2024 में विशेष प्रतिनिधियों की 23 वींबैठक , मार्च 2025 और जुलाई 2025 में क्रमशः भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 33 वीं और 34 वीं बैठक शामिल है । पाकिस्तान के संबंध में, सरकार राजनयिक माध्यमों से सीमा पार आतंकवाद, युद्धविराम उल्लंघन और भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के किसी भी प्रयास का मुद्दा उठाती रही है।

(ग) भारत सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अवैध रूप से पार करने की लगातार हो रही घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दिसंबर 2024 में, भारत सरकार ने अंतरिम सरकार के एक सलाहकार द्वारा सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का एक गलत नक्शा, 'जिसमें भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया गया था', पोस्ट करने की कड़ी निंदा की थी और उसका विरोध किया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने जून 2025 में बांग्लादेश की एक घरेलू एयरलाइन द्वारा अनजाने में हवाई सीमा का उल्लंघन करने का मामला उठाया, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

(घ) भारत सरकार, भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नज़र रखती है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। रक्षा उत्पादन से लेकर प्रौद्योगिकीय नवाचार तक, आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मज़बूत कर रहा है।

(ङ) भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार राजनयिक माध्यमों, विभिन्न आधिकारिक वार्ताओं और स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन सहित मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों को संबंधित सरकारों के साथ उठाती रही है। हमारी सभी वार्ताओं में, यह बताया गया है कि इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए।

इसके अलावा, संबंधित देशों में स्थित हमारे मिशन और कोंसलावास भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और उन्हें अपेक्षित सहयोग एवं कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। मिशन रिहा किए गए मछुआरों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ भी प्रदान करते हैं।

विदेशी जेलों, विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश की जेलों में बंद मछुआरों का विवरण इस प्रकार है:-

- श्रीलंका – 56 भारतीय मछुआरे
- बांग्लादेश – 34 भारतीय मछुआरे
- पाकिस्तान – 1 जुलाई2025को जिन सूचियों का आदान-प्रदान किया गया, उनके अनुसार , पाकिस्तान ने 193 भारतीय/भारतीय माने जाने वाले मछुआरों की हिरासत स्वीकार की है। 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित 'भारत-पाकिस्तान कोंसली सहायता करार ' के अनुसार, प्रत्येक देश

की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।

*****